

2

## न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 56 /2019 (Bank Case)

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री रोनक कुमार बानिक पुत्र श्री आशित कुमार बानिक , शाखा कार्यालय -पहली मंजिल, 10-डी, पंजवानी कॉम्प्लैक्स, मल्टीपरपज स्कूल के सामने, गुमानपुरा कोटा 324007 राजस्थान में स्थित व कार्यरत है तथा पंजिकृत कार्यालय-प्लॉट-15, 6<sup>th</sup> फ्लोर इंस्टीटूशनल एरिया, सैक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा है ।  
— प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

### बनाम

1. रीता देवी पत्नी श्री शमसेर ठाकुर, निवासी- सरकारी स्कूल के पीछे, प्रेम नगर- प्रथम, वार्ड नं० 43, जिला कोटा -324003 (राज०)  
—(ऋणी)
2. शमसेर ठाकुर पुत्र श्री विशम्भर दयाल, निवासी सरकारी स्कूल के पीछे, प्रेमनगर प्रथम, वार्ड नं० 43, जिला कोटा -324003 (राज०)
3. चन्दा देवी पत्नी श्री विशम्भर दयाल, निवासी सरकारी स्कूल के पीछे, प्रेमनगर प्रथम, वार्ड नं० 43, जिला कोटा -324003 (राज०)  
—(सह ऋणी)  
- अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्युरिटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :-श्री जितेन्द्र नामा , अभिभाषक प्रार्थी

### आदेश

दिनांक: 14.05.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जरिये प्राधिकृत श्री रोनक कुमार बानिक पुत्र श्री आशित कुमार बानिक शाखा कार्यालय -पहली मंजिल, 10-डी, पंजवानी कॉम्प्लैक्स, मल्टीपरपज स्कूल के सामने, गुमानपुरा कोटा 324007 राजस्थान में स्थित व कार्यरत है तथा पंजिकृत कार्यालय -प्लॉट-15, 6<sup>th</sup> फ्लोर इंस्टीटूशनल एरिया, सैक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा - 324008 में स्थित व कार्यरत है ।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 19.05.2016 को 5,00,000/- (अक्षरे: रूपये पांच लाख, मात्र) का ऋण लिया था तथा अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति सर्वे नं० -067/585 प्रेम नगर- प्रथम कच्ची बस्ती तहसील लाडपुरा, जिला कोटा ( राज० ) मे स्थित है जिसका नगर विकास न्यास कोटा के नियमन- आवंटन/ अधिकार पत्र क्रमांक नियमन -आवंटन/2015/719 दिनांक 28.12.2015 से शमशेर पुत्र विशम्भर प्रसाद व श्रीमती रीता देवी पत्नी शमशेर के नाम से जारी किया हुआ है एवं जिसका कुल क्षेत्रफल 49.26 वर्गगज है को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 31.10.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 4,80,108/- ( अक्षरे रूपये चार लाख अस्सी हजार एक सौ आठ मात्र) बकाया रकम दिनांक 30.11.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा

अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 16.11.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये एवं हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत में दिनांक 15.12.2018 एवं अंग्रेजी समाचार पत्र THE ECONOMIC TIMES में दिनांक 15.12.2018 को प्रकाशित करवाया गया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं सम्भलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किया जाने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण दिनांक 16.11.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये एवं हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत में दिनांक 15.12.2018 एवं अंग्रेजी समाचार पत्र THE ECONOMIC TIMES में दिनांक 15.12.2018 को प्रकाशित करवाया गया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 16.11.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये एवं हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत में दिनांक 15.12.2018 एवं अंग्रेजी समाचार पत्र THE ECONOMIC TIMES में दिनांक 15.12.2018 को प्रकाशित करवाया गया, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है ।

अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति सर्वे नं0 -067/585 प्रेम नगर- प्रथम कच्ची बस्ती तहसील लाडपुरा, जिला कोटा ( राज0 ) में स्थित है जिसका नगर विकास न्यास कोटा के नियमन- आवंटन/ अधिकार पत्र क्रमांक नियमन -आवंटन/2015/719 दिनांक 28.12.2015 से शमशेर पुत्र विशम्भर प्रसाद व श्रीमती रीता देवी पत्नी शमशेर के नाम से जारी किया हुआ है एवं जिसका कुल क्षेत्रफल 49.26 वर्गगज है का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14.05.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा

